उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-20/2017/सीपी 223/84-2-2017-सीपी 9/2015
लखनऊ : दिनांक : 05 जुलाई, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री राम कुमार पुत्र स्व0 सतनू, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), 4/627, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-14/2016/सीपी 683/84-2-2015-सीपी 9/2015, दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1824/एससीडीआरसी /अधि 27/16, दिनांक 17 मई, 2017 में अवगत कराया गया कि श्री राम कुमार की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांक 01.05.2017 द्वारा जनपद न्यायालय, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी के पद पर हो जाने के कारण उनके द्वारा जिला फोरम, हमीरपुर के अध्यक्ष के पद से दिनांक 08.05.2017 के अपरान्ह से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अत: निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ने श्री राम कुमार पुत्र स्व0 सतनू, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर का त्यागपत्र दिनांक 08.05.2017 के अपरान्ह से स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4. अस्तु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री राम कुमार पुत्र स्व0 सतनू, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), 4/627, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 08.05.2017 के अपरान्ह से स्वीकार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1,गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, हमीरपुर।
(3) कोषाधिकारी, हमीरपुर।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री राम कुमार पुत्र स्व0 सतनू, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), 4/627, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।